न्यायालय समाहर्त्ता एवं जिला दंडाधिकारी, खगड़िया

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1946 का नियम)

केस का प्रकार–आपूर्ति अपील वाद संख्या–05/2016–17 शंभू शर्मा बनाम् राज्य

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश के आलोक में की गई कार्रवाई का पत्रांक एवं दिनांक
19.09.2017	*आदेश* प्रस्तुत आपूर्ति अपील वाद सं0 05/2016–17 शंभू शर्मा, पिता–स्व0 लक्ष्मण शर्मा, ग्राम–चक्रहर टोला पसराहा पंचायत देवठा, प्रखंड–गोगरी, जिला–खगड़िया द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी के आदेश ज्ञापांक 556 दिनांक 08.03.2016 से विछुब्ध होकर दाखिल किया गया है। दाखिल अपील में अपीलकर्त्ता द्वारा कहा गया है कि दिनांक 13.02.2016 को जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, खगड़िया श्री सुरेश साहु अचानक पंचायत मार्ग पर मिले। उक्त तिथि को उस समय वे अपनी अति अस्वस्थ्य पत्नी के चिकित्सा हेतु चिकित्सक के पास जा रहे थे। बिना किसी पूर्व सूचना के अनायास अतिविषम परिस्थिति में मिले अधिकारी एवं उनके आदेश का उनके द्वारा तुरंत पालन किया एवं निरीक्षण संबंधित कागजात जैसे भंडार पंजी, अद्यतन संधारित प्रर्दण पत्र दिखलाया। बचे हुए कागजात को लाने हेतु जा ही रहे थे कि उनकी रूग्न पत्नी चक्कर खाकर गिर पड़ी तथा बेहोश हो गयी। वे किंकर्त्तव्य विमुढ़ हो कर पत्नी की प्राण की रक्षा करनी थी तथा दूसरी तरफ अधिकारी श्री सुरेश साहु के आदेशों का पालन करना था। श्री साहु सारी स्थितियों से अवगत थे उनकी अनुमति से कि पत्नी की चिकित्सा उपरान्त बचें हुए सारे कागजातों को निरीक्षण करने हेतु समर्पित कर दूँगा, पत्नी को दिखाने चिकित्सक के पास गये। चिकित्सक के यहाँ से लौटने के बाद शाम चार बजे तक कागजातों सहित श्री सुरेश साहू की प्रतीक्षा करता रहा, दुर्भाग्यबश वे नहीं आये। उनका यह भी कहना है कि कारण पृच्छा एवं उसके आलोक में उनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण एवं उसके साथ संलग्न चिकित्सा प्रमाण–पत्र, चिकित्सकों के परामर्श आदि के अवलोकन ये यह स्पष्ट है कि उनके उपर लगाये गये आरोप कि वे कागजात दिखाने के बदले स्थल छोड़कर भाग गये सराकर मिथ्या एवं बेबुनियाद है। यथार्य यह है कि वे बेहोश हो गयी पत्नी को लेकर चिकित्सक के यहाँ श्री सुरेश साहु के आदेश से गये थे और उन्होंने कहा था कि आप आकर मुझसे मिले। इस	

बीच अन्य दुकानदारों का जॉच कर आता हूँ। तब तक चिकित्सक के यहाँ से आने के बाद वे संध्या चार बजे तक उनके आने की प्रतीक्षा की, लेकिन वे नहीं आये। अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी का आदेश ज्ञापांक 556 दिनांक 08.03.2016 से अनुज्ञप्ति रद्द किया गया है वह असंवैधानिक एवं निरस्त करने योग्य है। उनके द्वारा उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में तथा जन वितरण प्रणाली के रूप में उनके अच्छे चरित्र को देखते हुए अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी के आदेश ज्ञापांक 556 दिनांक 08.03.2016 को निरस्त करते हुए पुनः जन वितरण प्रणाली बिक्रेता के रूप से बहाल करने का अनुरोध किया गया है।

अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख का परिशीलन से स्पष्ट है कि जिलाधिकारी, खगड़िया के आदेश ज्ञापांक 196/गो0, दिनांक 12.02.2016 के आलोक में प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी श्री सुरेश साहु ,जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना शिक्षा विभाग, खगड़िया द्वारा दिनांक 13.02.2016 को श्री शम्भू शर्मा जन वितरण प्रणाली बिक्रेता पंचायत–देवठा अनुज्ञप्ति संख्या 15जी0/2007 के दुकान की जॉचकर जॉच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। प्राप्त जॉच प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया कि श्री शम्भु शर्मा जॉच पदाधिकारी को रास्ते में मिले। कहने पर स्थल तक पहँचे। निरीक्षण प्रपत्र में कॉलम 01 से 12 तक दिखाये उसके बाद कुछ भी दिखाने से इन्कार कर स्थल छोड़कर भाग गये। जो अनुज्ञप्ति की शर्तो का घोर उल्लंघन है। इस संबंध में बिक्रेता श्री शम्भू शर्मा से ज्ञापांक 316 दिनांक 14.02.2016 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी। बिक्रेता से प्राप्त स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं पाया गया तथा पदाधिकारी के आदेश का उल्लंघन मानते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2001 का घोर उल्लंघन मानते हुए बिक्रेता श्री शम्भु शर्मा जन वितरण प्रणाली पंचायत–देवठा का अनुज्ञप्ति संख्या–15 जी/2007 को रद्द कर दिया गया।

अभिलेख में संलग्न कागजातों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय,पटना में अपील दायर किया गया था। माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या–7745/2016 शंभू शर्मा वनाम राज्य एवं अन्य में पारित आदेश में मेरिट तथा कानून के तहत निर्णय लेने का आदेश दिया गया है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता को सुना। उनका कथन है कि दिनांक 13.02.2016 को जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, खगड़िया श्री सुरेश साहु अचानक पंचायत मार्ग पर मिले। उस समय वे अपनी पत्नी के

चिकित्सा हेतु चिकित्सक के पास जा रहे थे। जॉच पदाधिकारी के आदेश का उनके द्वारा तुरंत पालन किया गया एवं निरीक्षण संबंधित कागजात दिखलाया गया। लेकिन अपनी पत्नी की विषम परिस्थिति को देखते हुए जॉच पदाधिकारी के अनुमति से कि पत्नी की चिकित्सा उपरान्त बचे हुए सारे कागजातों को निरीक्षण करने हेतु समर्पित कर दूँगा, पत्नी को दिखाने चिकित्सक के पास चले गये। बिक्रेता द्वारा अपनी पत्नी की विषम परिस्थिति के बावजूद जॉच पदाधिकारी को सहयोग किया गया। बिक्रेता के विरूद्ध किसी भी प्रकार का कोई शिकायत किसी उपभोक्ता का नहीं है। अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी के आदेश ज्ञापांक 556 दिनांक 08.03.2016 से जन वितरण प्रणाली बिक्रेता श्री शंभू शर्मा की अनुज्ञप्ति संख्या 15 जी0/2007 को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है, जो कानून एवं न्याय संगत नहीं है। उनके द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी के आदेश को निरस्त करते हुए अपीलार्थी का अनुज्ञप्ति बहाल करने का अनुरोध किया गया।

विशेष लोक अभियोजक द्वारा अपना तर्क प्रस्तुत करते हुए बताया गया कि अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा पारित आदेश सम्यक तथा सही है तथा इस अपील वाद को खारिज करने की प्रार्थना की गयी।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि जिलधिकारी, खगड़िया के आदेश के आलोक में श्री सुरेश साहु, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना शिक्षा विभाग, खगड़िया द्वारा श्री शंभू शर्मा जन वितरण प्रणाली बिक्रेता की दूकान की जॉच हेतु गये थे और बिक्रेता द्वारा जॉच में पूर्ण सहयोग नहीं किया गया तथा स्थल छोड़कर चले गये, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2001 का घोर उल्लंघन है।

अतः उपर्युक्त के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी के आदेश ज्ञापांक 556 दिनांक 08.03.2016 को यथावत रखा जाता है तथा अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता, खगड़िया

समाहर्त्ता, खगड़िया

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1.	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02.	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख–सहित 3.
	डी0 बी0 नं0 283 / विधि, दिनांक 18/10/2017 प्रतिलिपिः–अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। प्रतिलिपिः– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि आदेश की प्रति जिले के वेबसाईट पर अपलोड करने की कृपा की जाय। 18/10/17 प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि, शाखा खगड़िया। 18/10/17	